



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125290

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 18918 वर्ष 2026

वकील अंसारी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ के माध्यम सेप्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आदर्श श्रीवास्तव, रीना पाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक की अधिवक्ता श्रीमती रीना पाल और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री जी.पी. सिंह की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
2. यह ज़मानत अर्ज़ी मुकदमा अपराध संख्या 63/2026 (धारा 64(2) एम, 351(3) और 352 बीएनएस, थाना नरसैना, ज़िला बुलंदशहर) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह भी कहा गया है कि एफआईआर दो साल बाद दर्ज की गई है, जिसका कोई कारण नहीं बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आरोप के अनुसार, आवेदक पर शिकायतकर्ता का वीडियो अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करने का आरोप है, लेकिन जाँच के दौरान ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 26.03.2026 से जेल में बंद है। अगर उसे ज़मानत मिलती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. एफ.आई.आर. के अनुसार, यह एफ.आई.आर. दो साल बाद दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदक ने शिकायतकर्ता का एक वीडियो दिखाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर वायरल कर दिया; उसने कई बार उसके साथ बलात्कार किया; हालाँकि, जाँच के दौरान ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन सभी 6765)** मामले में ज़मानत देने के संबंध में इस न्यायालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. इसलिए, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **वकील अंसारी** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो ज़मानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक ज़मानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, स्थिति और पते के सबूत की पुष्टि करनी चाहिए। संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की भी पुष्टि करनी चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. 'सुओ मोटो रिट याचिका (सीआरएल.) संख्या 4/2021' (जिस पर 31.01.2023 को फैसला हुआ और जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट की गई है) में 'ज़मानत देने की नीतिगत रणनीति' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, ऑफिस को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक कॉपी संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

1 जून, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।